

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक :- एफ.3(ख)एस-389/2013/1553

दिनांक :- 12.12.2024

कार्यालय आदेश

श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निदेशालय के आदेश क्रमांक 3164 दिनांक 22.04.2024 की निरंतरता में संशोधित आदेश क्रमांक 3235 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा दिनांक 31.03.2024 से निलम्बित कर मुख्यालय कोष कार्यालय, कोटा किया गया था। श्री संदीप शर्मा को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री संदीप शर्मा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को कोषाधिकारी, कोटा के पत्रांक 391 दिनांक 13.11.2024 द्वारा अग्रप्रेषण के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(1)(ए)(1) के अनुसरण में श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति (संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सेवा नियम 53(1)(बी), 53(2) एवं 55 की पालना सुनिश्चित करने की शर्त पर) एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ख)एस-389/2013/1553

दिनांक :- 12.12.2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. एसीपी (उप निदेशक) को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित), मुख्यालय कोषालय, कोटा।
5. पदस्थापन सीट / निजी / रक्षित पत्रावली।



निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव